5 रु. भारत पाँच रुपये (×5) Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

जी.पी. नायक 10.10.16

-1-

10-10-16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

नि-3565-I-16

252
10-10-16

निगरानी प्रकरण कमांक –एक/2016

श्रीमती सुमित्रा पुत्री धर्मा चमार

ग्राम सुन्दरपुर तहसील टीकमगढ़

जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ---आवेदिका

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर टीकमगढ़

2– तहसीलदार टीकमगढ़ ---अनावेदकगण

(निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 8, म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 – अपर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 75 बी 121/2015–16 स्व0निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28–7–2016 के विरूद्ध)

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण कमांक 3565 –एक/2016 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के
18.10.16	यह निगरानी अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 75 बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 28–7–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार वृत्त समर्रा तहसील टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 41 अ –19 (4)/1985–86 में पारित आदेश दिनांक 20–5–1986 से आवेदिका महिला सुमित्रा पुत्री धर्मा चमार के नाम ग्राम नैनवारी की भूमि सर्वे कमांक 13 रकबा 0.525 हैक्टर सर्वे कमांक 14/1 रकबा 0.699 हैक्टर मध्य प्रदेश कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध अधिनियम) 1984 के अंतर्गत व्यवस्थापित करते हुये पटटा प्रदान किया। अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 27.7.16 के पद एक में अभिलिखित अनुसार यह भूमि आवेदिका के नाम खसरा पॅचसाला 1089–90 से वर्ष 1993–94 में भूमिस्वामी स्वत्व पर प्रविष्टि पाई गई , किन्तु वर्ष 1994–95 का नवीन खसरा तैयार करते समय हलका पटवारी ने बिना सक्षम आदेश के भूमि मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज कर दी । आवेदिका व्दारा प्रस्तुत अभिलेख एंव निगरानी मेमो के	

तथ्यों अनुसार भूमि का पटटा मिलने एंव हलका पटवारी व्दारा मौके पर नप्ती करके भूमि चिन्हांन उपरांत देने के वाद हलका पटवारी ने नामान्तरण पंजी में पटटे का अमल किया है । खसरा पॅचशाला 1089-90 से वर्ष 1993-94 तक निरन्तर भूमि आवेदिका के नाम भूमिस्वामी के रूप में अभिलिखित रही है। आवेदिका के अनुसार हलका पटवारी ने स्वस्तर से बिना सक्षम अधिकारी का आदेश लिये नवीन खसरा बनाते समय भूमि शासकीय अंकित कर दी। इस कार्यवाही को करते समय पटवारी अथवा किसी राजस्व अधिकारी ने आवेदिका को कोई नोटिस/सूचना जारी नहीं किया है एंव सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया। जब आवेदिका को पटवारी व्दारा की गई गलत प्रविष्टि का पता चला, तब उन्होंने अपर कलेक्टर टीकमगढ़ को संहिता की धारा 32 के तहत आवेदन देकर शासकीय अभिलेख में उनके नाम की चली आ रही प्रविष्टि यथावत् करने की मांग की। अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ ने प्र0क0 75 बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 28-7-2016 से आवेदिका का आवेदन अमान्य कर दिया। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदिका के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि नायव तहसीलदार वृत्त समर्रा तहसील टीकमगढ़ ने

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण कमांक 3565 –एक/2016 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के
	प्रकरण कमांक 41 अ –19 (4)/1985–86 में पारित आदेश दिनांक 20–5–1986 से आवेदिका महिला सुमित्रा पुत्री धर्मा चमार के नाम ग्राम नैनवारी की भूमि सर्वे कमांक 13 रकबा 0.525 हैक्टर सर्वे कमांक 14/1 रकबा 0.699 हैक्टर मध्य प्रदेश कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध अधिनियम) 1984 के अंतर्गत व्यवस्थापित करते हुये पटटा प्रदान किया। आवेदिका ने पटटे की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसके अवलोकन से यह सही है कि आवेदिका को ग्राम नैनवारी की भूमि सर्वे कमांक 13 रकबा 0.525 हैक्टर सर्वे कमांक 14/1 रकबा 0.699 मध्य प्रदेश कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के अंतर्गत व्यवस्थापित करते हुये पटटा प्रदान किया गया है इस प्रमाणित प्रतिलिपि के खण्डन पर अनावेदक के अभिभाषक मौन रहे हैं। 5/ आवेदिका को पटटा दिनांक 20–5–1986 प्रदान किया है । तहसील व्दारा जारी प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति के अवलोकन से पटटा दिया जाना स्पष्ट है जिसके कारण इस	

अभिलेख पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है । खसरा पॅचशाला 1089-90 से वर्ष 1993-94 तक निरन्तर भूमि आवेदिका के नाम भूमिस्वामी के रूप में अभिलिखित रही है। इस प्रकार आवेदिका व्यवस्थापिती होकर भूधारी है, ऐसा आभाषित है कि अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक75 बी-121/2015-16 में आदेश दिनांक 28-7-2016 पारित करते समय उक्त अभिलेखों की अनदेखी की है जिसके कारण अपर कलेक्टर व्दारा पारित आदेश दिनांक 28.7.16 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ तहसील न्यायालय से आवेदिका को जारी की गई खसरा वर्ष खसरा पॅचशाला 1089-90 से वर्ष 1993-94 की प्रमाणित प्रतिलिपि से स्पष्ट है कि आवेदिका का नाम वादोक्त भूमि पर भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित है किन्तु आगे के खसरा बनाते समय बिना सक्षम अधिकारी का आदेश प्राप्त किये तत्कालीन पटवारी ने भूमि मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज की है। पटवारी की इस वावत् तत्समय क्या शोच रही है वर्तमान में अन्दाज लगाया जाना संभव नहीं है, किन्तु आवेदिका के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को बिना सक्षम आदेश के हलका पटवारी ने नवीन खसरा बनाते समय उनका नाम हटाकर शासकीय लिखना प्रमाणित हुआ है । हलका पटवारी को बिना सक्षम आदेश के खसरे से भूमिस्वामी के नाम को विलोपित करने की शक्तियॉ नहीं है। इस सम्बन्ध में म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 117 इस प्रकार है :-

" धारा 117 - भू अभिलेखों में की प्रविष्टियों के बारे में उपधारणा -

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण कमांक 3565 –एक/2016 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के

भू अभिलेखों में इस अध्याय के अधीन की गई समस्त प्रविष्टियों के बारे में यह उपधाणा की जाएगी कि वे सही हैं जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। ''

गंभीर सिंह तथा अन्य वि. कल्याण तथा अन्य 2000 रा0नि0 61 में न्यायमूर्ति श्री आर0पी0गुप्ता (हा0को0) ने व्यवस्था दी है कि (यद्वपि राजस्व लेखों की प्रविष्टियां खण्डन करनेयोग्य हैं परन्तु यदि प्रविष्टि का खण्डन नहीं होता है तो उसके सही होने का अनुमान किया जाये। जब दशकों से निरन्तर प्रविष्टि चली आ रही है तो उसके सही होने का अनुमान किया जायेगा).

गनी खान वि. अपना वाई 1883 एम0पी0एल0जे0 304 = 1983 रा.नि. 213 उच्च न्यायालय में व्यवस्था दी गई है कि (जब खसरा की प्रतिलिपि उचित रूप से सत्य प्रमाणित हो और नियमानुसार दी गई हो तो साक्ष्य में ग्रहण करने योग्य होगी).

विचाराधीन प्रकरण में भी यही स्थिति है एंव शासन के पैनल लायर प्रस्तुत अभिलेख का खण्डन भी नहीं कर सके हैं जिसके कारण प्रस्तुत अभिलेख पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है और इन्हीं कारणों से अपर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा पारित आदेश दिनांक 28–7–2016 में दस्तावेजी अभिलेख की अनदेखी करना प्रतीत हुआ है जिसके कारण अपर कलेक्टर व्दारा पारित आदेश दिनांक 28–7–2016 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि वर्ष 1986 में भूमि व्यवस्थापन उपरांत कब्जा प्राप्ति के वाद से वादोक्त भूमि को आवेदिका ने महिला होते हुये भी पड़त से कृषि योग्य बनाया है तथा समतल करने में काफी मेहनत की है। सिंचाई साधन बनाने में काफी धन खर्च किया है, यदि वर्ष 1986 में दी गई भूमि उनसे वर्ष 2016 में (30 वर्ष वाद) वापिस ली जाती है तब आवेदिका को परिवार का पालन-पोषण करना मुश्किल हो जावेगा, क्योंकि आवेदिका अनुसूचित जाति वर्ग की होकर महिला कृषक है। यदि आवेदिका के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय -

1. **इन्दर सिंह तथा अन्य विरूद्व म0प्र0राज्य 2009 रा0नि0 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया - सरकारी भूमि घोषित नहीं की सकती - प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई प्रकियात्मक त्रृटि के कारण भूमिहीन बंटितियों को भूमि के आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता।**
2. **देवी प्रसाद विरूद्व नाके J.L.J. 155= 1975 R.N. 67= 1975 R.N. 208 का न्याय दृष्टांत है कि भूमि का आवन्टन 5 वर्ष पूर्व किया गया। आवंटिति को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त । तत्पश्चात् आवन्टन रद्व नहीं किया जा सकता।**

विचाराधीन प्रकरण में हलका पटवारी ने अधिकारविहीन कार्यवाही करते हुये आवेदिका के नाम की खसरे में चली आ रही भूमिस्वामी स्वत्व की प्रविष्टि को विलोपित कर नवीन खसरा बनाते समय वादग्रस्त भूमि शासकीय अंकित करने की त्रृटि की है जिसके कारण आवेदिका को व्यर्थ मुकदमेवाजी में उलझलना पड़ा है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक

प्र0क0 3565 -एक/2016 निगरानी

75 बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 28-7-2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है । साथ ही पटवारी व्दारा नवीन खसरा बनाते समय आवेदिका का नाम खसरे से विलापित करके भूमि शासकीय दर्ज करने वावत् की गई प्रविष्टि की कार्यवाही अधिकारितावविहीन होने से निरस्त करते हुये तहसीलदार टीकमगढ़ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम नैनवारी की भूमि सर्वे कमांक 13 रकबा 0.525 हैक्टर सर्वे कमांक 14/1 रकबा 0.699 पर चालू वर्ष के खसरे (कम्प्यूटराईज्ड खसरा सहित) में श्रीमती सुमित्रा पुत्री धर्मा चमार के नाम की प्रविष्टि भूमिस्वामी के रूप में अंकित करावें।

सदस्य